भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 348

(जिसका उत्तर सोमवार, 24जून, 2019/3आषाढ़, 1941(शक) को दिया जाना है)

जीएसटी के अंतर्गत पेट्रोल और डीजल को शामिल करना

† 348. प्रो॰ सौगत रायः

श्री एंटो एन्टोनीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की पेट्रोल, पेट्रोलियमउत्पादों और डीजल को माल और सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लानेकी कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है औरसरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गएहैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ग): संविधान के अनुच्छेद 279क (5) के अनुसार माल एवं सेवाकर परिषद उस तारीख के बारे में सिफारिश करती है जिस तारीख से कच्चे पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट (सामान्यतः जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर माल एवं सेवाकर लगाया जाएगा। सीजीएसटी एक्ट की धारा 9 (2) के अनुसार इन उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने के लिए जीएसटी परिषद के सिफारिश की जरूरत होती है। अब तक जीएसटी परिषद ने पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाए जाने के लिए कोई सिफारिश नहीं की है।

*****